

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री पुखराज

जति कंसारा

निवासी टांकरीया गली नम्बर 1, सिरोही

तहसील सिरोही जिला सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

लोक सूचना अधिकारी

जिला रसद अधिकारी, सिरोही

मुकदमा नं. 7 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.05.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 13.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जयन्ति लाल द्वारा आवेदन पत्र एक आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 13.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जयन्ति लाल द्वारा आवेदन पत्र एक आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)  
जिला कलक्टर, सिरोही